न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1589-एक/15 विरूध्द आदेश दिनांक 28-5-2015 पारित व्दारा तहसीलदार, पलेरा जिला टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 5/अ-6/14-15

महेन्द्र सिंह तनय बलवंत सिंह ठाकुर
निवासी जवाहरपुरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ - आवेदक

- विरूध्द -

अगंर सिंह तनय हरीसिंह ठाकुर
निवासी जवाहरपुरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ

- अनावेदक

श्री नितेन्द्र सिंघई,अभिभाषक, आवेदक
श्री टी0 पी0 एन0 तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक

आ दे श
(आज दिनांक 9-3-16 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र 1589/एक/15 रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा ५० के अंतर्गत तहसीलदार पलेरा जिला टीकमगढ के प्र क्र 5/अ-6/14-15 में पारित आदेश दि 28-5-15 के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

२. प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

भूमि ख नं १०१/१ रकबा ०.४११ है. ग्राम जवाहरपुरा मूलतः सटइयां, चाइना एवं उलदी के नाम थी. निगराकार महेंद्र के अनुसार उनके द्वारा २१ वर्ष पूर्व इस भूमि को विक्रय करने का इकरारनामा उसके पक्ष में किया गया था, किन्तु वह अभिलेख में उपलब्ध नहीं है. उन तीनों की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का उक्त भूमि पर वारिसाना नामांतरण हुआ, जिन्होंने उसे गैरनिगराकार अंगर को विक्रय कर दिया.

निगराकार ने इस भूमि के स्वत्व-अधिकार के सम्बन्ध में एक व्यवहार वाद दायर किया था, जिसके प्रचलित रहते अंगर ने तहसीलदार के समक्ष नामांतरण का आवेदन लगाया, जिस पर निगराकार ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ती की. तहसीलदार ने अंगर का साक्ष्य लेकर दि २८-५-१५ को निगराकार का साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया. इसी आदेश के विरुद्ध रा मं में यह निगरानी दायर हुई.

३. मैंने निगराकार के विद्वान् अधिवक्ता के तर्क सुने तथा गैरनिगराकारपक्ष के लिखित तर्क और प्रकरण के अभिलेखों का अध्ययन किया.

निगराकार पक्ष के अधिवक्ता का तर्क है कि व्यव.प्र.सं. के आदेश १७ के अनुसार उन्हें तहसीलदार द्वारा कम से कम ३ अवसर दिए जाने चाहिए थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने तहसीलदार के समक्ष यही आपत्ती की थी कि वे व्यव. वाद के निराकरण तक उक्त भूमि को मूल ३ भू-धारियों के वारिसों के नाम में ही रहने दें और महेंद्र और अंगर दोनों के पक्ष में नामांतरण ना करें. किन्तु तहसीलदार ने दि ९-६-१५ को उनकी आपत्ती निरस्त कर प्रकरण अंतिम बहस हेतु नियत कर दिया.

गैरनिगराकारपक्ष का तर्क है कि उन्होंने भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पात्र से खरीदी है और निगराकार के पास कथित २१ वर्ष पुराना या उसके बाद का उनके पक्ष में कोई अंतरण सम्बन्धी दस्तावेज़ नहीं है. कोई स्थगन भी नहीं है. ऐसे में विक्रय पात्र के आधार पर उनका नामांतरण किया जाना चाहिए.

४. तर्कों के प्रकाश में मैं समस्त अभिलेखों का परिशीलन करने पर निम्न प्रमुख विचार एवं टीप योग्य बिंदु पाता हूँ:

- (एक) आक्षेपित आदेश दि २८-५-१५ से तहसीलदार ने निगराकार के साक्ष्य का अवसर समाप्त ज़रूर किया है, किन्तु इसके पूर्व दि १२-५-१५ एवं ६-४-१५ को भी निगराकार को साक्ष्य का अवसर उन्होंने दिया था, जिसे मिलाकर निगराकार को साक्ष्य हेतु कुल ३ अवसर तहसीलदार द्वारा दे दिए गए थे और तीसरे अवसर पर ही उनके साक्ष्य का अवसर तहसीलदार ने समाप्त किया था.

  इसी तारतम्य में यह भी विचारणीय है कि निगराकार ने उनके द्वारा कथित २१ वर्ष पुराना या उसके अतिरिक्त उनके हित में उक्त भूमि के अंतरण से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज़ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसपर विचार करने का कोई निवेदन नहीं किया है. वस्तुतः, उन्हें इसी प्रकृति का साक्ष्य तहसीलदार के समक्ष उन्हें मिले ३ अवसरों के दौरान प्रस्तुत करना चाहिए था, जो उन्होंने न तो वहां किया ना यहाँ.
- (दो) दि २८-५-१५ के आक्षेपित आदेश से तहसीलदार ने, निगराकार द्वारा ३ अवसरों के बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद, उनके आपत्ती आवेदन पर गैरनिगराकार का जवाब मांगने के साथ प्रकरण तर्क हेतु नियत किया है.

  अर्थात्, जब ३ अवसरों के बाद तहसीलदार को स्पष्ट हो गया कि निगराकार के पास कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए नहीं है, तो भी उन्होंने निगराकार को, दुसरे पक्ष को जवाब देने का अवसर देने के पश्चात्,

निगराकार को तर्क के माध्यम से उसका पक्ष रखने का मौका दिए रखा. निगराकार इस मौके का फायदा अभी भी तहसीलदार के समक्ष उठा सकता है क्योंकि प्रकरण अभी भी तहसील न्यायालय में अंतिम तर्क हेतु नियत ही है और समाप्त नहीं हुआ है.

- (तीन) तर्क में निगराकार ने तहसीलदार द्वारा दि ९-६-१५ को नामांतरण की कार्यवाही स्थगित नहीं रखने के निर्णय को भी अनुचित होना कहा है. चूँकि निगरानी मेमो में इस दिनांक के इस आदेश का सन्दर्भ नहीं लिया गया है इसलिए मैं इस आदेश पर कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं समझता, किन्तु सिविल नया. से कोई स्थगन नहीं होने के आधार पर लिया गया यह निर्णय सही ही प्रतीत होता है.

५. उपरोक्त बिन्दुओं एवं विवेचना के उपरान्त एवं उनके आधार पर मैं यह पाता हूँ कि तहसीलदार के आक्षेपित आदेश दि. २८-५-१५ में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. अतः मैं उसे यथावत रखता हूँ.

निगरानी अस्वीकार की जाती है.
आदेश पारित.
पक्षकार सूचित हों.
प्रकरण समाप्त.
दा.द. हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर